ई–मेल

संख्या–2752/आठ–3–22–06 महा0/2014

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनॉक : 2। अक्टूबर, 2022**

विषयः–शासकीय समिति के समक्ष प्रस्तुत महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण किये जाने हेतु अतिरिक्त चेक लिस्ट विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप संख्या–2551/आठ–3–22–06 महा0/2014 दिनांक 06.10.2022, संख्या–440/आठ–3–21–06 महा0/2014 दिनांक 03.02.2021 एवं संख्या–2737/आठ–3–21–06 महा0/2014 दिनांक 22.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेशों के माध्यम से विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों द्वारा शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु शासकीय समिति का गठन/पुर्नगठन करते हुए प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजना का परीक्षण किये जाने हेतु चेक लिस्ट निर्गत की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजना का परीक्षण किये जाने हेतु **20 अतिरिक्त बिन्दुओं की चेक लिस्ट** संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.2021 द्वारा निर्गत की गयी 22 बिन्दु की चेक लिस्ट के साथ–साथ उपरोक्त 20 बिन्दुओं की चेक लिस्ट के आधार पर भी शासकीय समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त ।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–2752(1)/आठ–3–22–06 महा/2014–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
6. उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए सस्त संबंधित को अपने स्तर से तामील कराने का कष्ट करें।
11. मुख्य/नगर नियोजक, संबंधित विकास प्राधिकरण ।
12. श्री एन0आर0 वर्मा, सलाहकार, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
13. श्री जी0एस0 गोयल, सलाहकार, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
14. प्रधानाचार्य, राजकीय आर्किटेक्चर कालेज, लखनऊ।
15. डा0 शास्वत बन्द्योपाध्याय, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ प्लानिंग, सी.ई.पी.टी. यूनीवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात।
16. श्री जिग्नेश मेहता, सीनियर एसोशिएट प्रोफेसर, सी.ई.पी.टी. यूनीवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात।
17. सुश्री रिजीत मैथ्यूज, डायरेक्टर, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इण्डिया।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

शासकीय समिति के समक्ष प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण किये जाने हेतु अतिरिक्त चेकलिस्ट

1. महायोजना की योजना अवधि हेतु नगर के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का चिन्हांकन किया जाना तथा उनका चरणबद्ध विकास एवं अनुमानित लागत के प्रस्ताव की स्थिति।
2. नगर की अवस्थापना सुविधाओं यथा महायोजना मार्ग, पार्क एवं खुले स्थल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के विकास एवं संवर्द्धन की प्रस्तुत की गयी विस्तृत योजना की स्थिति।
3. महायोजनान्तर्गत आर्थिक क्रियाकलापों की योजना(जो सस्टेनिबिलिटी आधारित हो), 'सिटी मोबिलिटी प्लान' 'इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान' (जो लैण्डयूज प्लान से एकीकृत हो), 'इन्कलूसिव प्लान' (विशेष रूप से रैन वसेरा, फेरी वाले, वृद्धाश्रम, अनाथालय, कार्यकारी महिलाओं के लिए 'हॉस्टल', शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधांए इत्यादि) 'पेरि–अर्बन' क्षेत्रों के नियोजन हेतु योजना तथा पर्यावरण संरक्षण, योजना के समावेश की स्थिति।
4. महायोजना के विभिन्न कार्यांशों का परस्पर एवं वित्त पोषण से 'इन्टीग्रेशन' की स्थिति तथा महायोजना मार्गों और नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना एवं 'फाइनेन्सिंग प्लान' की स्थिति।
5. भूमि मूल्य में उत्पन्न विषमताओं के निराकरण के लिये महायोजना के पुनरीक्षण अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार किये जाने के कारण 'निम्न भू–उपयोग से उच्चीकृत भू–उपयोग' में प्रस्तावित भूमि के स्वामियों से 'नगरीय उपयोग प्रभार' उद्ग्रहीत करने हेतु अधिनियम में संशोधन के माध्यम से विधिक व्यवस्था का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है। उक्त व्यवस्था के प्रभावी होने पर अभिकरणों द्वारा 'नगरीय उपयोग प्रभार' उद्ग्रहीत किया जा सकेगा। यह व्यवस्था रिपोर्ट में अंकित किया जाये।
6. महायोजना में हरित क्षेत्रों/ग्रीन बेल्ट और जन सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि को भू–स्वामी द्वारा शासकीय अभिकरण के पक्ष में निःशुल्क समर्पित किए जाने की दशा में उक्त भूमि के सापेक्ष संबंधित भू–स्वामियों को आवासीय उपयोग का 'ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स' प्रदान करने की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।
7. महायोजना में टी.ओ.डी.(ट्राजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट) जोन के रेखांकन की स्थिति।
8. अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु संबधित विभागों/अभिकरणों (यथा–नगर निगम, जल निगम, सूडा, लोक निर्माण विभाग आदि) से समन्वय स्थापित कर कार्य–योजना एवं 'फाइनेंसिग प्लान' बनाये जाने की स्थिति।
9. 'ट्रंक' अवस्थापना सुविधाओं यथा–महयोजना मार्गों, ड्रेनज, सीवरेज, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट, ग्रीनबेल्ट, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, विद्युत–स्टेशन, बस–स्टेशन, पार्किंग स्थल, आदि के लिए महयोजना में आरक्षित भूमि के चरणबद्ध

रूप से अधिग्रहण, वित्त पोषण एवं विकास/निर्माण हेतु सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर तैयार की गयी कार्य–योजना की स्थिति।

10. महानगरों हेतु 'काम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान' तैयार किए जाएंगे तथा महायोजनाओं के लैण्डयूज प्लान्स को 'कम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान' एवं 'इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान्स' से एकीकृत किये जाने की स्थिति।

11. सार्वजनिक परिवहन तथा 'नान–मोटराइज्ड' वाहनों को बढ़ावा देने हेतु महानगरों में द्रुत जनपरिवहन प्रणाली (मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम) यथा–मैट्रो रेल, सी.एन.जी आधारित बी.आर.टी.एस. आदि के विकास को प्रोत्साहित किये जाने की स्थिति।

12. प्रदेश के प्रमुख शहरों में रिंग रोड/बाईपास का निर्माण, बस एवं ट्रक टर्मिनल्स को शहरों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने, रेलवे क्रासिंग्स पर आर.ओ.बी. का निर्माण, उपयुक्त स्थलों पर फ्लाईओवर निर्माण तथा नदियों पर पुल निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति।

13. शहरों के अन्दर पार्किंग स्थलों के विकास, ट्रैफिक मैनेजमेन्ट तथा 'नॉन–मोटराइज्ड' वाहनों यथा–साइकिल, रिक्शा, आदि को बढ़ावा देने के लिए कार्य–योजना की स्थिति एवं पैदल यात्रियों तथा साइकिल चालकों के सुरक्षित आवागमन के लिए शहरों के अन्दर मुख्य मार्गो के साथ फुटपाथ, साइकिल ट्रैक्स के प्राविधान को प्रोत्साहित किये जाने का प्रस्ताव एवं चौराहों, सर्विस रोड, कैरिज–वे, मीडियन, बस–स्टाप, पार्किंग सुविधाओं, आदि के डिजाइन में साइकिल चालकों का विशेष ध्यान रखे जाने की स्थिति।

14. महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पार्क, खुले क्षेत्रों आदि के साथ–साथ हरति पट्टी (ग्रीन बेल्ट) के संरक्षण के उपायों की स्थिति।

15. जलाशयों, तालाबों का संरक्षण किया जाएगा तथा नदी, नालों एवं उच्चतम बाढ़ स्तर से प्रभावित क्षेत्र को निर्माण/अतिक्रमण से मुक्त रखा जाएगा। नदी/नालों के प्रवाह क्षेत्र के संरक्षण हेतु 'पी–लाइन' के आधार पर बन्धे की स्थिति को संज्ञान में लेने के उपरान्त ही महायोजनान्तर्गत भू–उपयोग निर्धारित किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की स्थिति।

16. शहरी क्षेत्रों में निरन्तर जल दोहन के फलस्वरूप भू–जल स्तर के गिरावट की रोकथाम हेतु नगरीय क्षेत्रों में विकसित की जाने वाली कालोनियों में विद्यमान तालाबों/जलाशयों के संरक्षण हेतु उपाय किए जाने की स्थिति।

17. महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान के अन्तर्गत समस्त प्रकार के ठोस अपशिष्टों जैसे–नगरीय ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट एवं 'ई'–अपशिष्ट के संग्रह और वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण/रीसाइक्लिंग/प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था हेतु आवश्यक प्राविधानों की स्थिति। इसकि अतिरिक्त नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के प्राविधानों के अनुसार पृथक क्षेत्र में लैंडफिल साइट पर नियमानुसार निस्तारण की स्थिति।

18. शहरी क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु मास ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था के साथ–साथ वाहनों के संचालन हेतु स्वच्छ ईधन अर्थात सी.एन.जी./इलेक्ट्रिक वाहन

के उपयोग एवं साईकिल ट्रैक्स व पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्गों के निर्माण को प्रोत्साहित किये जाने की स्थिति।

19. महायोजना के अर्न्तगत एक दक्ष 'लैण्डयूज प्लानिंग' के माध्यम से आवास एवं कार्य–केन्द्रों की निकटता व सह–सम्बद्धता के प्रस्ताव ताकि ट्रैफिक जनरेशन, ट्रैवेल डिस्टेन्स एवं वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। इस सम्बन्ध में स्थिति।

20. प्रदेश की प्रमुख निदियों यथा–गंगा, यमुना, गोमती, राप्ती, रामगंगा, हिण्डन, बेतवा, घाघरा, आदि के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं, जिनका निरन्तर विस्तार हो रहा है। सामान्यतः नगरों का सीवेज, प्रदूषित जल तथा औद्योगिक उत्प्रवाह नालों के माध्यम से सीधे नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जो नदियों को प्रदूषित करता है। इसके अतिरिक्त नगरीय आबादी के विस्तार एवं अतिक्रमण के कारण नदी प्रवाह क्षेत्र संकुचित भी हो रहे हैं। इन समस्याओं के निवारण हेतु निम्नलिखित रणनीति प्रस्तावित है :–

20.1 महायोजना/लैण्डयूज प्लान में नदियों के 'फ्लड प्लेन' को एच. एफ. एल. के सन्दर्भ में पर्यावरण विभाग के सहयोग से 'पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र' घोषित किया जायेगा और उन्हें बाढ़ नियंत्रण एवं बायो–डायवर्सिटी' के संरक्षण हेतु उपयोग में लाया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों में विकास/निमार्ण प्रतिबन्धित किया जायेगा।

20.2 नदियों के किनारे विकास/निर्माण की अनुमति पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की वाह्य सीमा से पर्याप्त एवं सुरक्षित दूरी पर देय होगी। नदी अथवा संवेदनशील क्षेत्र में नगरीय अथवा ग्रामीण आबादियों से जल–मल, घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट के निस्तारण को प्रतिबन्धित किया जायेगा।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।